बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 227

तब विवाद होगा खत्म..

अयोध्या मामले के बहु-प्रतीक्षित निर्णय ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के इस छोटे शहर में दशकों से चले आ रहे जमीन विवाद के आखिरकार खत्म हो जाने की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। इस विवाद ने भारतीय राजनीति एवं समाज का स्वरूप बदल देने में अहम भूमिका निभाई है। उच्चतम न्यायालय अपने फैसले के पीछे की वजह कानूनी दायरे में ही रखने को लेकर खासा सजग रहा है। उसने इस बात पर जोर दिया है कि भले ही इस विवाद के राजनीतिक एवं धार्मिक निहितार्थ हो सकते हैं लेकिन वह इस मुद्दे को बेहद जटिल जमीन विवाद ही मानकर चला है।

दूसरे शब्दों में, यह निर्णय अयोध्या विवाद को इतिहास एवं धर्म के बारे में व्याख्यान देने का जरिया बनाने के बजाय धर्मनिरपेक्ष एवं संवैधानिक सिद्धांतों के आलोक में देखने का एक स्पष्ट प्रयास माना जा सकता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस मामले में दिए अपने फैसले में विवादित जमीन को तीनों याचियों के बीच बांट दिया था। लेकिन व्यावहारिक तौर पर दो-तिहाई जमीन हिंदू समुदाय को मिली थी जबकि एक तिहाई जमीन मुस्लिम पक्ष को दी गई थी। हालांकि उस फैसले में ऐतिहासिक तथ्यों की कमी और धर्मशास्त्रीय विवरणों की अधिकता थी। लेकिन शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में न्यायक्षेत्र के धर्मनिरपेक्ष चरित्र पर कम दबाव डाला है।

इसके बावजूद अब भी ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं और पूछे जाने भी चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय अंतिम निष्कर्ष तक किस तरह पहुंचा? समूची विवादित जमीन हिंदुओं को देने के फैसले तक पहुंचाने वाले तर्कों में कई समस्याजनक बिंदु हैं। पहला, मुस्लिम समुदाय के दावे को 'संभाव्यता के संतुलन' के आधार पर पूरी तरह नकार देने वाला निष्कर्ष थोड़ा अटपटा है क्योंकि हिंदू पक्षकारों ने भीतरी परिसर में अनवरत पूजा होते रहने का सबूत कभी नहीं पेश किया। आशंका इस बात की है कि 'संभाव्यता का संतुलन' लागू करने को कुछ तबके इस रूप में भी देख सकते हैं कि न्यायालय ने अयोध्या की अंतिम स्थिति के बारे में राजनीतिक विमर्शों को ध्यान में रखा। दूसरा, न्यायालय का यह मत है कि समूची जगह एक 'यौगिक' इकाई है, लिहाजा उसमें किसी भी तरह का विभाजन नहीं हो सकता है। वैसे पिछली सदी में जब्ती होने के पहले तक इस तरह का जमीन बंटवारा एक ऐतिहासिक परंपरा रही है। तीसरा, न्यायालय ने विवादित स्थल को दो हिस्सों- भीतरी परिसर एवं बाहरी परिसर के रूप में देखते हुए कहा है कि बाहरी परिसर में हिंदुओं की पूजा के रिकॉर्ड मौजूद हैं वहीं मुस्लिम पक्ष भीतरी परिसर में लगातार इबादत होने की बात साबित नहीं कर पाया है।

हालांकि कहीं व्यापक बिंदु यह है कि दोषपूर्ण होते हुए भी इस फैसले में यह क्षमता है कि लंबे समय से खिंचे चले आ रहे मामले को बंद किया जा सके। इस संदर्भ में, विवाद से जुड़े सभी हितधारक एवं राजनीतिक दल इस बात के लिए तारीफ के हकदार हैं कि सबने अपने बयानों में इसकी सियासी तपिश काफी हद तक कम कर दी। खुद प्रधानमंत्री ने भी फैसला आने के पहले देशवासियों को सजग करते हुए कहा था कि वे फैसले को 'हार' या 'जीत' के रूप में न देखें। यह उम्मीद की जाती है कि मंदिर के ट्रस्ट का गठन एवं प्रबंधन भी इसी तरह समावेशी हो और उसमें उन जख्मों को दोबारा हरा करने वाला विजयोल्लास न हो।

विवादित ढांचे के विध्वंस की 1992 में घटी घटना को लेकर काफी तीखे नजर आए न्यायालय को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि विध्वंस से संबंधित मामलों का निपटारा जल्द हो और दोषियों को सजा मिले। ऐसा होने पर ही अयोध्या विवाद सही मायनों में बंद हो सकेगा और भारत भी आगे बढ़ पाएगा। कानून को लागू किया जाना चाहिए और तभी राष्ट्रीय राजनीति अयोध्या की गहरी छाया से निकल सकती है।

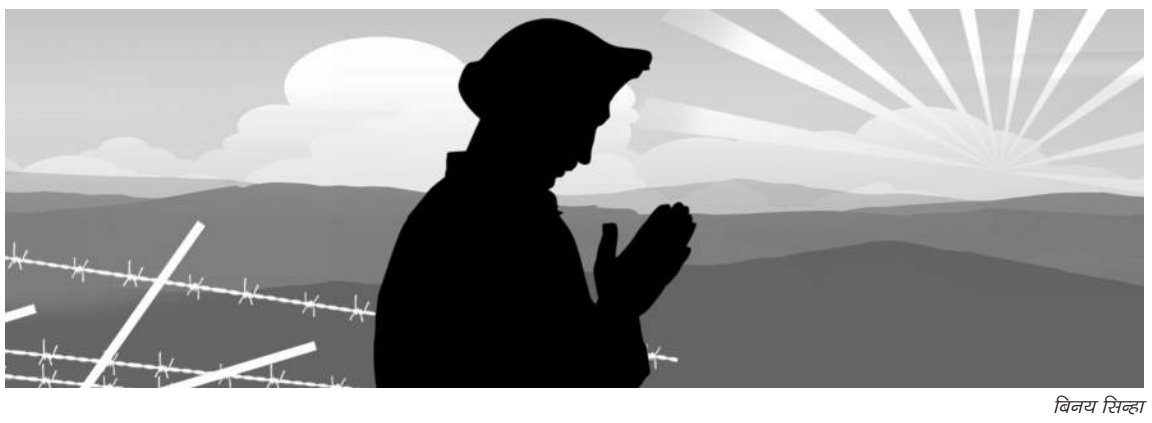

बिनय सिन्हा

इमरान नहीं नानक के बारे में सोचिए

भारतीय सिखों और तमाम गैर सिखों के सबसे पवित्र धर्मस्थलों में शुमार करतारपुर साहिब खुल गया है। यह हम सबके उल्लासित होने का दिन है।

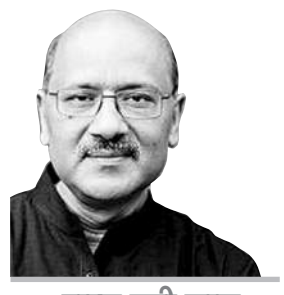

राष्ट्र की बात

शेखर गुप्ता

बतौर क्रिकेट खिलाड़ी उनकी भूमिका को छोड़ दिया जाए तो इमरान खान शायद आपको सबसे शानदार लोगों में नहीं लगें। इसके बावजूद उनके मानकों के हिसाब से भारत के सिखों के लिए करतारपुर साहिब की यात्रा को वीजा मुक्त बनाने की उनकी पेशकश दिलचस्प थी।

पहली बात तो यह कि वे यह कैसे तय करेंगे कि कोई सिख है या नहीं? सिख होने का कोई सिद्धांत नहीं है, न ही यह किसी को अलग से चिह्नित करता है। किसी भी धर्म के किसी भी व्यक्ति का गुरुद्वारे में स्वागत है। आपको बस चंद साधारण नियमों का पालन करना होता है: आपका सर ढका हुआ हो और आप नंगे पांव हों। इस स्थिति में आप प्रार्थना कर सकते हैं, पूजा अर्चना कराने वाले ग्रंथी किसी भी अन्य श्रद्धालु की तरह आपको पवित्र पुस्तक से आशिष दिलाएंगे और संगत आपको लंगर में भोजन कराएगी।

स्वर्ण मंदिर और अकाल तख्त साहिब सहित समूचे सिख समाज में किसी भी आस्था के व्यक्ति के लिए कोई रोकटोक नहीं है। कहने का तात्पर्य यह कि सिख धर्म किसी के लिए कोई रोकटोक नहीं करता। लंगर जैसे सामुदायिक भोजन की व्यवस्था इसका उदाहरण है जहां सब साथ में भोजन करें। साथ में भोजन करने वाले सभी समान समझे जाते हैं। किसी भी धर्म का व्यक्ति 'कार सेवा' कर सकता है। अनेक लोग ऐसा करते हैं। यही कारण है कि सिखों के पवित्र स्थल दुनिया में सर्वाधिक स्वच्छ जगहों में शामिल हैं। भारत में करतारपुर साहिब को लेकर इमरान खान, पाकिस्तानी सेना तथा आईएसआई के रुख को लेकर काफी चिंता है। ये सभी हमारी आशंकाओं के मुताबिक ही बुरे हैं। परंतु यदि यह मान भी लिया जाए कि करतारपुर साहिब के माध्यम से पाकिस्तान के पास भारत में अलगाववाद का दोबारा हवा देने का मौका था, तो भी इमरान खान ने केवल सिखों के लिए रियायत की घोषणा कर इसे खत्म कर लिया। पहली बात तो यह कि सिख धर्म सबको समान मानने वाला समावेशी धर्म है और वह इस प्राथमिकता देने वाली अवधारणा को खारिज कर देगा। इमरान यह भी नहीं जानते होंगे कि किसी सिख को या गुरुनानक तथा उनके नौ अन्य उत्तराधिकारियों के अन्य धर्म से ताल्लुक रखने वाले श्रद्धालु को कैसे अलग किया जाएगा। सिख व्यवहार और परंपरा में ऐसा कुछ नहीं है जो सिखों को गैर सिखों से अलग कर सके।

इमरान खान पुराने सैन्य प्रतिष्ठान की इस अवधारणा पर यकीन कर बैठे हैं कि सिखों और हिंदुओं में विभाजन अनिवार्य है। इससे पहले सन 1960 के दशक में इस विषय में उसका पहला और 1981-94 के बीच उसका दूसरा प्रयास नाकाम रहा था। अब तीसरी कोशिश का अवसर आ गया है। यही कारण है कि विदेशों में स्थित सिख संगठन, खासतौर पर कनाडा के संगठनों को पाकिस्तान के प्रवासी समूहों के साथ जोड़ा जा रहा है। खासतौर पर कश्मीरी (मीरपुरी) समूहों को साथ लाया जा रहा है और रिफरेंडम 2020 को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस तरह पुरानी किताब के एक और अध्याय को खोला जा रहा है। पहले किए गए प्रयासों की तरह इसका भी नाकाम होना तय है। इस बार भी यह भारत की तुलना में पाकिस्तान को अधिक नुकसान पहुंचाएगा। हम भारतीयों को बहुत समस्या महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। सिखों को भारत से अलग करने की पाकिस्तानी फंतासी सन 1950 के दशक तक जाती है। उस दौर में विभाजन के घाव एकदम ताजा थे।

पाकिस्तान ने इस दिशा में पहला प्रयास 1960 के दशक के मध्य में चरम पर पहुंचाया। पंजाब का विभाजन हुआ था और उसके एक हिस्से में कट्टर और अलगाववादी भावना थी। परंतु पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरों और उनकी हत्या के बाद लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी ने इस चुनौती को गंभीरता से लिया। पंजाब एक बार फिर बंटा और हिंदी बहुल इलाकों को हरियाणा और हिमाचल के रूप में नए राज्य के रूप में गठित किया गया। पंजाबी बोलने वाले सिख बहुल राज्य के रूप में पंजाब सामने आया। पाकिस्तानियों ने भी भारतीय युद्ध बंदियों में से सिखों को अलग कर उन्हें बरगलाने की कोशिश की। दूसरा प्रयास सन 1981 में किया गया। यह प्रयास पाकिस्तान के नए सत्ता प्रतिष्ठान ने किया जिसे अफगान जिहाद के माध्यम से नई मजबूती हासिल की थी। हालांकि संयोगवश इसे भारत के कई आंतरिक कारकों का सहयोग भी मिला। सिखों में बगावती तेवर, कमजोर सरकारें और शिरोमणि अकाली दल को हाशिये पर रखना इसमें शामिल हैं। उसके बाद संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले जैसे करिश्माई और पवित्रतावादी नेता का उभार हुआ। उसके बाद जो हुआ वह इतिहास में दर्ज है। बाद के 13 वर्षों में हजारों लोग मारे गए। ठीक उस समय जब लगने लगा था कि पंजाब में अब हालत नहीं सुधरेंगे, यह सब अचानक समाप्त हो गया। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि हम जैसे मामले पर करीबी नजर रखने वाले भी ठीक से समझ नहीं सके।

ऐसा कैसे हुआ? यकीनन सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियों ने अपना काम बखूबी किया। परंतु आतंक का वह दौर उस दिन समाप्त हो गया जिस दिन सिखों ने यह तय किया कि अब बहुत हो गया। इस लड़ाई की असली हीरो थी सिख पंजाब पुलिस। सिखों की आम धारणा में यह बदलाव नाटकीय था। एक बिंदु पर जहां मेरे कुछ साथी पत्रकार भी पंजाब के आजाद क्षेत्रों की यात्रा करने की बातें कर रहे थे, वहीं यह सब अचानक समाप्त हो गया। हालत ऐसी थी कि अब कोई इस विषय पर बात भी नहीं करना चाहता था। इस अभियान का नेतृत्व तत्कालीन पंजाब पुलिस प्रमुख केपीएस गिल कर रहे थे। उन्होंने इंडिया टुडे की एक खबर के लिए इस विषय पर मेरे साथ विस्तार से बात की। जब मैंने उनसे पूछा कि इसका ऐसा अचानक और नाटकीय अंत कैसे हुआ? उन्होंने कहा, देखिए पाकिस्तान के लोग इकबाल को नहीं पढ़ते, उन्होंने कहा था- कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी।

ऐसे में पाकिस्तानियों का यह सोचना मूर्खता लगता है कि वे उन दिनों को वापस ला सकते हैं। इसी प्रकार हम भारतीयों के लिए यह सोचना भी शर्मनाक है कि पाकिस्तानी हमारे सिखों को हमसे दूर कर सकते हैं। करतारपुर साहिब में कहीं किसी होर्डिंग पर भिंडरांवाले की तस्वीर देखकर हमारा हताश हो जाना सही नहीं है। ऐसी तस्वीरें तो आपको स्वर्ण मंदिर में और उसके आसपास भी मिल जाएंगी। बाहर दुकानों पर बिकती की चेन में और दिल्ली में कारों के पीछे तो कई जगह कंप्यूटर और टैबलेट के स्क्रीन सेवर में भिंडरांवाले की तस्वीरें दिख जाएंगी। अगर हम इन्हें देखकर चौकन्ने होने लगें तो मतलब हमें एक राष्ट्र के रूप में खुद पर और सिख समुदाय पर भरोसा नहीं है।

अगर हम यह मान लेते हैं कि वे 2019 में भी उसी झांसे में आ जाएंगे तो यह उनकी बुद्धिमता का अपमान होगा। अगर हममें से कोई यह सोचता है कि हमने सिखों को पाकिस्तान से बचाया तो यह एकदम मूर्खतापूर्ण रूप से अतार्किक है।

हमने पिछले सप्ताह इस आलेख में कहा था कि भारत की सामाजिक और राष्ट्रीय समरसता बीते वर्षों में हमारी सहजता के साथ-साथ मजबूत हुई है। हम इसलिए मजबूत नहीं हैं क्योंकि हम अपनी विविधता के साथ एकजुट हैं। बल्कि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हम अब अधिक सहज हैं। आज यह दलील दी जा सकती है कि भारतीय गणराज्य के संस्थापकों ने विविधता में एकता का नारा देते हुए थोड़ी कंजूसी बरती। उनको कहना चाहिए था कि विविधता का जश्न मनाओ। एक बार अगर आप इसे स्वीकार कर लें तो आपको किसी अन्य नागरिक के प्रति राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को लेकर चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है।

यही कारण है कि अब ऐसी आशंकाओं को भुलाने का वक्त है। भारत कोई चीनी मिट्टी का बना हुआ मुल्क नहीं है। भारतीय सिखों और तमाम गैर सिखों के सबसे पवित्र धर्मस्थलों में से एक अब खुल गया है। यह हम सबके उल्लासित होने का दिन है। टेलीविजन पर चल रही खालिस्तान की वापसी जैसे चर्चाओं को बंद करिए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला।

यदि फिर भी आपको इसकी चिंता है तो याद रखिए कि सिख प्रार्थना की अंतिम पंक्ति क्या कहती है: नानक, तुम्हारा नाम हम सब को प्रसन्न रखता है, आपका आशिष तमाम मानवजाति को प्रसन्न और समृद्ध रखे।

साइबर धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाएं ग्राहक को सतर्क रहने की जरूरत

तकनीकी तंत्र

देवांग्शु दत्ता

ग्राहकों को बैंक की तरफ से आने वाले मोबाइल संदेशों और ईमेल पर नजर रखनी चाहिए और अगर कोई भी संदिग्ध लेनदेन दिखे तो बैंक को फौरन उसकी जानकारी दें

साइबर सेंधमारी और डेटा लीक के मामले भारत में पिछले दिनों सुर्खियों में रहे हैं। एक स्तर पर, केके नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र पर सफल साइबर हमले की घटना अधिक डरावनी है। यह भारत के ऊर्जा क्षेत्र के आधारभूत ढांचे की असुरक्षित हालत को दर्शाता है।

दूसरे स्तर पर, पेगासस की तरफ से कुछ भारतीय एक्टिविस्ट की निगरानी का मामला सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है। यह एक व्यवस्थागत, गैरकानूनी निगरानी का पैटर्न दर्शाता है जिसकी जद में दर्जनों भारतीय एक तय समय तक जरूर रहे। अभी तक सामने आए तमाम साक्ष्यों से यही लगता है कि इस निगरानी को सरकारी एजेंसियों ने अंजाम दिया था।

पिछले दिनों सामने आया साइबर हमले का तीसरा मामला एक विश्व रिकॉर्ड ही बना गया। गत 28 अक्टूबर को 'इंडिया-मिक्स-न्यू-01' नाम के डेटा लीक में करीब 13 लाख क्रेडिट एवं डेबिट कार्ड से संबंधित विवरणों की बिक्री की पेशकश डार्क वेब पर की गई थी। खुद को जोकर्स स्टैश बताने वाली वेबसाइट पर यह मामला सामने आया। इन कार्डों में से 98 फीसदी से भी अधिक को भारतीय बैंकों ने जारी किया हुआ है। बिक्री के लिए उपलब्ध कार्ड के मामले में यह सबसे बड़ा वाकया है। हरेक कार्ड का विवरण करीब 100 डॉलर की रकम में देने की बात कही गई है। यह बताता है कि साइबर- अपराधियों की नजर में इस ब्योरे की कीमत कितनी अधिक है। अमूमन क्रेडिट एवं डेबिट कार्ड के ब्योरा एक डॉलर प्रति कार्ड की दर पर मिल जाता है। इस घटना के बारे में जानकारी देने वाली साइबर सुरक्षा फर्म ग्रुप-आईबी का मुख्यालय सिंगापुर में है जबकि इसका स्वामित्व रूसी शोधकर्ताओं के एक समूह के पास है जिसके मुखिया इलिया साखकोव हैं। ग्रुप-आईबी का अनुमान है कि अधिकांश कार्डों के विवरण 'स्किमिंग' के जरिये जुटाए गए हैं। दुकानों में कार्ड स्वैपिंग के लिए लगी पीओएस मशीनों में छेड़छाड़ कर स्किमिंग की जाती है। वहीं कुछ कार्डों का ब्योरा एटीएम मशीनों में छेड़छाड़ से जुटाया गया है।

भौतिक स्किमिंग की गुंजाइश सबसे ज्यादा होती है। बिक्री के लिए रखे गए आंकड़े ट्रैक1 एवं ट्रैक2 से संबंधित हैं। किसी कार्ड के पिछले हिस्से पर लगी चुंबकीय पट्टी में तीन ट्रैक तक हो सकते हैं। इनमें से हरेक ट्रैक में लेनदेन के लिए जरूरी जानकारियां दर्ज होती हैं। कार्डधारक का नाम-पता, कार्ड नंबर, उसकी वैधता अवधि और कार्ड पुष्टिकरण मूल्य (सीवीवी) के अलावा धोखाधड़ी से बचाव के लिए दर्ज सूचना भी ट्रैक पर कूटबद्ध रूप में दर्ज होती हैं। कई क्रेडिट-डेबिट कार्ड में केवल दो ट्रैक ही होते हैं। जब भी कार्ड को किसी एटीएम या पीओएस मशीन में लगाया जाता है तो कार्ड पर बने ट्रैक में उपलब्ध जानकारियां पढ़ी जाती हैं। वहीं ऑनलाइन लेनदेन में ट्रैक को पढ़े जाने की जरूरत नहीं होती है। पुष्टिकरण का काम सीवीवी संख्या दर्ज कर किया जाता है। कार्ड के पिछले हिस्से पर बनी सफेद पट्टी के पास अंकित तीन-चार अंकों की संख्या ही सीवीवी होती है।

कार्ड के ट्रैक्स पर दर्ज सूचनाओं को बेचने की इस पेशकश से पता चलता है कि ये जानकारियां कार्ड स्वाइप के जरिये जुटाई गई हैं। तमाम क्रेडिट कार्ड कंपनियों एवं बैंकों की तरफ से जारी ये कार्ड बेतरतीब मेल एवं अनुपात में हैं। इनमें अकेले एक भारतीय बैंक के ही करीब 18 फीसदी कार्ड हैं। यह मिश्रण बताता है कि छेड़छाड़ की शिकार कई पीओएस या एटीएम मशीनों से आंकड़े जुटाए गए हैं, न कि किसी एक जगह से। इसकी वजह यह है कि किसी एटीएम मशीन में इस्तेमाल होने वाले कार्ड में उसी बैंक की तरफ से जारी कार्ड की संख्या सबसे अधिक होती है।

ट्रैक1 एवं ट्रैक2 डेटा की उपयोगिता इस बात में है कि इसका इस्तेमाल कर एक नए कार्ड को जन्म दिया जा सकता है। एक कार्डधारक के तमाम विवरणों को इस नए कार्ड की चुंबकीय पट्टी पर अंकित किया जा सकता है और फिर इस क्लोन कार्ड से लेनदेन किया जा सकता है। भारत के बाहर अधिकांश ऑनलाइन लेनदेन के लिए 2-फैक्टर सत्यापन (2एफए) जरूरी नहीं है लिहाजा कोई भी चालाक साइबर अपराधी खाते से जुड़े फोन नंबर को बदलकर 2एफए को आसानी से चकमा दे सकता है। ट्रैक1 एवं ट्रैक2 डेटा में उपभोक्ता से संबंधित तमाम जानकारियां मौजूद होती हैं जिनका इस्तेमाल सत्यापन में किया जा सकता है।

सवाल है कि क्या आपको घबराना चाहिए? भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के मुताबिक, अगर तीसरे पक्ष की सेंधमारी के चलते अनधिकृत लेनदेन होता है तो उसमें ग्राहक की कोई जवाबदेही नहीं होती है। यहां पर तीसरे पक्ष की गलती का मतलब यह है कि न तो बैंक और न ही ग्राहक की तरफ से कोई त्रुटि बरती गई है। इसकी शर्त बस यह है कि ऐसा लेनदेन होने के तीन कारोबारी दिनों के भीतर ही ग्राहक बैंक को इसकी जानकारी दे दे। इसका मतलब है कि ग्राहकों को बैंक की तरफ से आने वाले मोबाइल संदेशों और ईमेल पर नजर रखनी चाहिए और अगर कोई भी संदिग्ध लेनदेन दिखे तो बैंक को फौरन उसकी जानकारी दें। अगर आप कार्ड का कम इस्तेमाल करते हैं तो एक छोटा ऑनलाइन लेनदेन कर आप यह पता कर सकते हैं कि आपको अलर्ट संदेश मिल रहे हैं या नहीं। एक नागरिक के तौर पर आप इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। हालांकि कुछ सावधानियां रखी जा सकती हैं। पहला, किसी भी ऐसे एटीएम का इस्तेमाल न करें जहां कार्ड-रीडर लगे होने का अंदेशा हो। इसके अलावा डेबिट कार्ड की तुलना में क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल को प्राथमिकता दें।

कानाफूसी

'विदेशी गायें आंटी होती हैं'

भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल इकाई के प्रमुख दिलीप घोष ने यह दावा करते हुए एक और विवाद को जन्म दे दिया कि भारतीय गायों के कूबड़ पर सूरज की रोशनी पड़ने से उनके शरीर में सोने का निर्माण होता है और इसीलिए भारतीय गायों का दूध पीले रंग का होता है। विदेशी नस्लों की गायों को 'आंटी' कहते हुए उन्होंने कहा कि केवल भारतीय गाय को ही माता का दर्जा दिया जाना चाहिए। कुछ ही समय में उनका यह बयान वायरल हो गया और सोशल मीडिया पर इसे लेकर बहुत टिप्पणियां की गईं। कुछ लोगों ने लिखा, 'घोष को अगला वित्त मंत्री बना देना चाहिए जिससे भारत गाय के दूध से सोना बनाना शुरू कर सके। इससे देश की आर्थिक चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी।' कुछ लोग उनके बयान के कारण उन्हें ट्विटर पर ट्रोल भी करने लगे।

बढ़ते कदम...

पिछले कुछ दिनों से माइक्रोब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर उपयोगकर्ताओं के खातों का सत्यापन करने के लिए मनमाने नियम बनाने और इन मानकों का पालन नहीं करने पर कुछ ट्विटर हैंडल को ब्लॉक करने की घटनाओं के बीच ट्विटर चर्चा का विषय बना हुआ है और बहुत से उपयोगकर्ता मैस्टाडॉन प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं। गुरुवार को कांग्रेस पार्टी ने भी 'आईएनसीइंडिया मैस्टाडॉन डॉट सोशल' के साथ मैस्टाडॉन पर अपना खाता खोल लिया। इस हैंडल में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी का फोटो लगा है जिसके साथ स्लोगन में लिखा है, 'सच भारत'। मैस्टाडॉन का दावा है कि वह ओपन सोर्स, सेल्फ होस्टेड, मुफ्त सोशल नेटवर्किंग सेवा प्रदाता है। हालांकि इसकी अधिकांश विशेषताएं ट्विटर तथा वीइबो की तरह ही हैं लेकिन शेष दोनों से इतर इसकी होस्टिंग केंद्रीय स्तर पर नहीं की जाती। इसके चलते प्रत्येक ऑपरेटिंग सर्वर के लिए इस प्लेटफॉर्म के नियम, सेवा शर्तें और काम करने की नीति अलग-अलग हैं। उपयोगकर्ता अपनी पसंदीदा नीति वाले प्लेटफॉर्म का चलन कर सकता है या किसी ऐसे प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा सकता है, जिसकी नीतियां उसे पसंद नहीं आ रही हैं। लेकिन इस बदलाव के लिए व्यक्ति को मैस्टाडॉन के सोशल नेटवर्क से बाहर नहीं जाना पड़ेगा।

आपका पक्ष

जनसंख्या नियंत्रण पर करनी होगी पहल

असम सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में एक फैसला किया है कि 1 जनवरी, 2021 से उन व्यक्तियों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, जिनके दो से अधिक बच्चे हैं। इसके पहले उत्तराखंड सरकार ने भी एक फैसला लिया था कि अगर किसी व्यक्ति के दो से अधिक बच्चे हैं तो वह पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकता है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिक जनसंख्या पर अपनी चिंता जाहिर की थी। बढ़ती जनसंख्या सरकार के लिए चिंता का विषय रहा है। इसे नियंत्रित करने के लिए पिछली सरकारों द्वारा भी कदम उठाए गए थे। वर्ष 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लाई गई, जनसंख्या आयोग का गठन किया गया। लोकसंख्या स्थिरीकरण निधि की भी स्थापना की गई। इससे लोकसंख्या के बढ़ने की गति में कमी आई लेकिन वर्तमान में देश के लिए 135 करोड़ आबादी देयता बन गई है तथा जिस कामकाजी

देश की बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए सरकार को ठोस नीति लानी चाहिए

जनसंख्या से जनसांख्यिकीय लाभांश मिलने की उम्मीद थी उस हिसाब से उसका परिणाम सामने नहीं आया है। जनसंख्या के आंकड़े पर अगर गौर करें तो जिन राज्यों में साक्षरता दर कम है उस राज्य में प्रजनन दर अधिक है। जिस राज्यों में साक्षरता दर अधिक है वहां प्रजनन दर कम है। अगर प्रति व्यक्ति आय के आधार पर विश्लेषण करें जिन राज्यों की आय अधिक है उन राज्यों में जनसंख्या कम है जबकि गरीब राज्यों में जनसंख्या अधिक है। अर्थशास्त्रियों के मुताबिक देश में जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून के साथ सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य में निवेश करना चाहिए। वर्ष 2026 तक देश में कामकाजी जनसंख्या 68.4 प्रतिशत हो जाएगी इसके लिए सरकार को रोजगार सृजन के लिए अभी से रणनीति बनानी होगी।

निशांत महेश त्रिपाठी, नागपुर

श्रमिकों का मेहनताना बढ़ाने की जरूरत

दिल्ली सरकार ने न्यूनतम मजदूरी दर में बढ़ोतरी की है। अब न्यूनतम मजदूरी दर 8,632 रुपये से बढ़ाकर 14,882 रुपये कर दिया गया है। दिल्ली की तरह अन्य राज्यों को भी न्यूनतम मजदूरी दर में बढ़ोतरी करने की जरूरत है। आजादी के बाद से देखा जाए तो श्रम कानून में न ज्यादा बदलाव हुआ है और न श्रमिकों के वेतन वृद्धि को लेकर स्पष्ट कानून बनाए गए हैं। अधिकांश उद्योग अपनी इच्छानुसार श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान कर रहे हैं। पिछले वर्ष आई एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार भारत में निम्न वर्ग और गरीब होते जा रहे हैं जबकि अमीर और अमीर हो रहे हैं। यह भारत में आर्थिक असमानता का मुख्य कारण है। भारत में निजी और सरकारी क्षेत्रों में कार्य करने के लिए दिए जाने वाले वेतन में भी काफी असमानता है। सरकार को आर्थिक असमानता और बेरोजगारी दूर करने के लिए श्रम कानून में बदलाव करने की जरूरत है। निजी क्षेत्रों में सुधार कर वेतन बढ़ोतरी करने से युवाओं का ध्यान निजी क्षेत्रों की ओर आकर्षित होगा। सरकार को चाहिए कि वह उद्योगों को कर में रियायत देकर श्रमिकों की मजदूरी में बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखे। चिकित्सा, दुर्घटना बीमा या अन्य किसी भी आकस्मिक घटना पर उन्हें सुविधा मुहैया कराना चाहिए। जब तक निजी क्षेत्र में सुधार नहीं होगा, वेतन बढ़ोतरी नहीं होगी तब तक निम्न वर्ग ऊपर नहीं उठ सकेगा।

अमित पांडेय, बिलासपुर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।